

प्रारूप-3

भाग-2 (संदर्भित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना का रकीम की अवधिति

(i) राज्य/राज्याधिकारी उत्तरार्द्ध

(ii) निलामी
अट्टनोडा

(iii) विला वन प्रभाग अट्टनोडा वन प्रभाग

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि वर्ग क्षेत्र

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः आरोक्षित भूमि,

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनरप्ति का घोरा संलग्न है,

(i) वन का प्रकार Very Dense Forest

(ii) वनरप्ति का औसत पूर्ण धनत्व 0.7

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराव जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की पारेगणना सुलभ है।

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कर्यकरण योजना का चुस्ता

19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और दीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी सुलभ है

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : 6

21. वन्य जीव वर्गी दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्वता : →

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का बैंगन :

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरिंडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के बाहर और उपायद्वारा जाने में मुख्य वन्य जीव पार्डन की और टीका टिप्पणियों उपायद्वारा की जाए)

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय लघान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से इस किसी वर्ग के भीतर अवैरिधत है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के बाहर और मुख्य वन्य जीव पार्डन की टीका-टिप्पणियों उपायद्वारा की जाए)

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे जनन जीव उद्यान आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोगित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक किमी वर्ग भीतर अवैरिधत है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के बाहर और मुख्य वन्य जीव पार्डन की टीका-टिप्पणियों उपायद्वारा की जाए)

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसी वर्ग खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके बारे

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्त्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवैरिधत है (यदि ऐसा है तो उपायद्वारा किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्राप्त-यत्र (एन ओ सी) के साथ उसका व्यापार हो) →

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्ताएँ के बारे में टीका टिप्पणियां हैं :

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विश्वास्यावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति च्यूनतम है। हाँ व्युज्ञतम् व अप्रोच्यते

(ii) यदि भही तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्णकाण को लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. किए गए अंतिकमण के बारे : लागू नहीं

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अंतिकमण में विरोध कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं)

(ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अंतिकमण में अंतर्विलो वन भूमि, अंतिकमण को लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अंतिकमण के बारे और अंतिकमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यगाही

(iii) क्या अंतिकमण में कार्य अव भी प्रयोग में है (हाँ/नहीं)

25. क्षतिपूरक बनरोपण स्कीम के बारे : संतुष्ट है

(i) क्षतिपूरक बनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विविध प्रारूपों।

(ii) अवरिधि, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक बनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे बारे दें।

(iii) क्षतिपूरक बनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में रथल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीक्षा वन सीमाएं संलग्न हैं।

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक बनरोपण स्कीम के बारे संलग्न हैं (हाँ/नहीं)।

(v) क्षतिपूरक बनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :

(vi) क्या क्षतिपूरक बनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपबन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न है (हाँ/नहीं)।

26. बनरपति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाप्तात से सर्वान्धत महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रकाश में लाने वाले स्तर वन संरक्षक की रथल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ/नहीं)।

27. रवीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों सख्ती के साथ संतुष्ट हैं जागृसमिति

स्थान: Ahmedabad

तारीख: 24/04/2022

हस्ताक्षर

क्रमांक संख्या: सख्ती के साथ संतुष्ट हैं जागृसमिति

कर्मचारी वन प्रभाग अमो